न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुरेन्द्रसिंह पुरोहित (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 176 सन 2019

अनवान :–

1. पवन कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र गोपीराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
2. अंजु देवी 3 पूनम पुत्रीयान ओमप्रकाश जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 24/07/2019

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 430/377 के प0न0 76/49 के किला न0 16/0.253 ,प0न0 76/50(184) के किला न0 1/1 की 0.228हैक 2 ता 9 प्रत्येक 0.253हैक 10/2 की 0.227 ,11/1 की 0.228हैक , 12 ता 14 प्रत्येक 0.2530हैक प0न0 76/42 (185) के किला न0 2 ता 9 प्रत्येक 0.253हैक 12 ता 15 प्रत्येक 0.253हैक 17 ता 20 प्रत्येक 0.253हैक , प0न0 116/59 (199) के किला न0 1/0.253 ,1/2 की 0.227 , 2 ता 3 की 0.506हैक , किला न0 4 ता 9 प्रत्येक 0.2530हैक 10/2 की 0.228 , 11/2 की 0.228 12 ता 19 प्रत्येक 0.2530हैक , किला न0 22/2 की 0.227 हैक 23/2 की 0.253हैक प0न0 116/52 (24/2) के किला न0 5/0 223 कुल 11.9410हैक भूमि जिसमें सयुक्त तौर से औमप्रकाश 3.9805हैक का खातेदार काश्तकार दर्ज है।

रोही मौजा चक 7 पीपीएम के खाता संख्या 28/30 के प0न0 116/50(8) के किला न0 0/2 की 0.0510हैक 16 ,17/0.506हैक 24/0.228हैक , 25/0.227 कुल 1.0120हैक प0न0 116/58 (9) के किला न0 0 की 0.1260हैक 11/2 की 0.228हैक 12 ,13/0.506हैक 14 ता 17 /1.0120हैक 18 ,19/0.506हैक , 20/2 की 0.0228हैक , 21/2 की 0.202हैक , 22/0.228 ,23/0.228 ,24/0.228 ,25/.227 कुल 3.7190हैक प0न0 116/51(11) के किला न0 4 ता 6/0.759हैक , 7/0.253हैक 14 ता 16/0.759हैक 17/0.253हैक 25/0.253हैक कुल 7.0080हैक जिसमें सयुक्त तौर से ओमप्रकाश का 1/3 हिस्सा दर्ज है।

उपरोक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा गोपीराम पुत्र मुखराम के नाम से दर्ज थी वादी के दादा के देहान्त होने के बाद विरासतन से उनके पुत्रगणों पर औद हुई है। जिसके कारण वाद भूमि सयुक्त परिवार की पैतृक सम्पति है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से सयुक्त खाता में दर्ज है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा है।

वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जिसके कारण वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के हकों का हनन होता है वादी अपने हक हिस्सा की भूमि को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई दफा कहॉ की वादी के हकों की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु कहॉ तो प्रतिवादी कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु बाद में ईन्कार हो गया इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

Scanned with CamScanner

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 चारो बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 चारो के नाम से दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 4 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 430/377 कुल 11.9410हैक भूमि जिसमें सयुक्त तौर से औमप्रकाश 3.9805हैक का खातेदार काश्तकार दर्ज है। रोही मौजा चक 7 पीपीएम के खाता संख्या 28/30 कुल 7.0080हैक जिसमें सयुक्त तौर से ओमप्रकाश का 1/3 हिस्सा दर्ज है

उपरोक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा गोपीराम पुत्र मुखराम के नाम से दर्ज थी वादी के दादा के देहान्त होने के बाद विरास्तन से उनके पुत्रगणों पर औद हुई है। जिसके कारण वाद भूमि सयुक्त परिवार की पैतृक सम्पति है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से सयुक्त खाता में दर्ज है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा है।

वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जिसके कारण वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के हकों का हनन होता है वादी अपने हक हिस्सा की भूमि को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादीगण ने स्वीकार कर सहमति पेश की जा चुकी है वादी का वाद डिक्री किया जाकर रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 430/377 कुल 11.9410हैक भूमि जिसमें सयुक्त तौर से औमप्रकाश 3.9805हैक का खातेदार काश्तकार दर्ज है। रोही मौजा चक 7 पीपीएम के खाता संख्या 28/30 कुल 7.0080हैक जिसमें सयुक्त तौर से ओमप्रकाश का 1/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है के स्थान पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावे।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण फरमावें।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि वर्तमान में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 के पिता औमप्रकाश प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड पर्चा खतौनी रोही मौजा बिरकाली बारानी एवं जमाबन्दी सम्वत 2049 रोही मौजा चक 7 पीपीएम के अनुसार वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा गोपीराम पुत्र मुखराम के नाम से दर्ज थी वादी के दादा गोपीराम पुत्र मुखराम का देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि उनके तीन पुत्रों पर औद हुई है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है से पूर्णत्या साबित है

उपरोक्त रिकार्ड से साबित है कि वादी के दादा गोपीराम के देहान्त होने पर विरास्तन से वादी भूमि वादी के पिता एवं उसके भाईयों अर्थात गोपीराम के पुत्रों के नाम से दर्ज हुई है अर्थात विरास्तन से वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम वाद भूमि दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। पैतृक सम्पति में हिन्दु उतराधिकारी अधिनियम की धारा 6 के

GL

Scanned with CamScanner

अनुसार दादा की सम्पति में पौता/पोतीयों का बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा होगा।

वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर ईकबाल दावा पेश किया जाकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम बहिब दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

इसप्रकार वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के द्वारा स्वीकार करने के कारण वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 7 पीपीएम के खाता संख्या 28/30 की कुल 7.0080हैक भूमि में सयुक्त तौर से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा एवं रोही मौज बिरकाली बारानी के खाता संख्या 430/377 की कुल 11.9410हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 3.9805हैक भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 चारो बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 24/07/19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सुरेन्द्र सिह पुरोहित (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. पवन कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 ओमप्रकाश पुत्र गोपीराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
2. अंजु देवी 3 पूनम पुत्रीयान ओमप्रकाश जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 176 सन 2019 निर्णय दिनांक– 24/07/2019

आज यह वाद मुझ सुरेन्द्रसिह पुरोहित उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है रोही मौजा चक 7 पीपीएम के खाता संख्या 28/30 की कुल 7.0080हैक भूमि में सयुक्त तौर से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा एवं रोही मौज बिरकाली बारानी के खाता संख्या 430/377 की कुल 11.9410हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 3.9805हैक भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 चारो बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 24/07/19 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner